यह निरीक्षण प्रतिवेदन, अधिशासी अभियंता, यांत्रिक शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता यांत्रिक शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम देहरादून के माह 08/2019 से 08/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री आशीष कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 20/09/2020 से 03/10/2020 तक श्री वी॰ पी॰ सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री देवेन्द्र कुमार दिवाकर व श्री संतोष कुमार गुप्ता सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 01/08/2019 से 9/8/2019 तक श्री राजबहादुर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 01/2016 से 07/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2019 से 08/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः जनपद, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत जलापूर्ति के निर्माण से संबन्धित विद्धुत यांत्रिक कार्य किए जाते है ।
3. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना
2017-18	7.86	99.90	565.50	571.64	1860.74	1857.68	-	104.66
2018-19	1.71	102.95	734.86	733.07	2419.54	2291.41	-	234.58
2019-20	3.50	231.07	644.66	621.61	2336.35	2209.81	-	384.18
2020-21	26.55	357.62	282.37	266.93	374.47	662.94	-	111.15

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(` लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2017-18	एन आर डी डब्लू पी	22.04	512.85	473.86	-	61.03
2018-19	एन आर डी डब्लू पी	61.03	651.58	609.03	-	103.58
2019-20	एन आर डी डब्लू पी/जल जीवन मिशन	103.58	489.96	585.41	-	8.13
2020-21	एन आर डी डब्लू पी/ जल जीवन मिशन	8.13	160.00	126.76	-	41.36

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई की श्रेणी "B" है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1) सचिव, पेयजल उत्तराखंड शासन।

(2) प्रबन्ध निदेशक पेयजल निगम देहरादून उत्तराखंड।

(3) मुख्य अभियंता गड़वाल क्षेत्र, पौड़ी।

(4) अधीक्षण अभियंता, यांत्रिक मण्डल देहरादून।

(5) अधिशासी अभियंता यांत्रिक शाखा पेयजल निगम देहरादून।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, यांत्रिक शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता यांत्रिक शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। तथा सूरीधार पेयजल योजना का विस्तृत विश्लेषण किया गया जिसका प्रतिचयन लेखापरीक्षा अवधि मे अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर: 1 (a) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम (NRDWP) / नाबार्ड के अंतर्गत यांत्रिक एवं विद्धुत कार्यो पर रु 615.29 लाख व्यय के बावजूद पेयजल योजना के उद्देश्यों का अप्राप्त रहना तथा ठेकेदार के बिलो से नियमानुसार 2 प्रतिशत की दर से देय आयकर की कटौती न करने के कारण रु 6.35 लाख की राजस्व की हानि।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम (NRDWP) के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खंड नरेंद्रनगर की क्वीली पालकोट पंपिग पेयजल योजना की प्रशासनिक स्वीकृति रु 53.55 करोड़ की माह 03/2014 मे उत्तराखंड शासन द्वारा प्रदान की थी। जिसको वर्ष 2017-18 मे नाबार्ड मद मे स्वीकृत कराया गया। प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत स्वीकृत लागत मे यांत्रिक कार्यों के लिए रुपए 6.84 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त थी (MPR के अनुसार)। अधिशासी अभियंता यांत्रिक खंड, पेयजल निगम देहरादून द्वारा प्रस्तुत आगणन के अनुसार रु 6.38 करोड़ का यांत्रिक एवं विद्धुत कार्य खंड द्वारा किया जाना था। जिससे संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि यांत्रिक कार्य को पूर्ण करने हेतु अधीक्षण अभियंता यांत्रिक शाखा पेयजल निगम देहरादून द्वारा माह 01/2016 को अनलाइन निविदा आमंत्रित की गयी। जिसमे न्यूनतम निविदाता मै वाटर पावर इंजीनियरिंग इंटरप्राइजेज़ नई दिल्ली के साथ दिनांक 20.07.2016 को रु 3.38 करोड़ का अनुबंध गठित किया गया। जिसके अनुसार कार्य दिनांक 15.01.2018 को पूर्ण किया जाना था। किन्तु अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि योजना मे यांत्रिक एवं विद्धुत कार्यो पर माह 08/2020 तक रु 615.29 लाख का व्यय करने के बावजूद कार्य अभी तक पूर्ण कर योजना को चालू नही किया गया था। जिसके कारण उक्त पेयजल योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त होने के साथ-साथ स्थानीय जनता को भी उसका लाभ भी प्राप्त नही हो पा रहा था।

आगे उक्त कार्य से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे यह भी पाया गया कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194C के अनुसार **फ़र्मों/ठेकेदारो को देय भुगतान/बिलो से 2 प्रतिशत की दर** से तथा व्यक्तिगत से 1 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती की जानी चाहिए। किन्तु कार्यालय अधिशासी अभियंता, यांत्रिक खंड पेयजल निगम देहरादून के उक्त योजना के अंतर्गत यांत्रिक कार्यो हेतु गठित अनुबंध संख्या 09/SE/2016-17 के सापेक्ष ठेकेदार को किए गए भुगतान सम्बन्धी वाउचरो/बिलो की जांच मे पाया गया की ठेकेदार को 11 बिलो के माध्यम से भुगतान की गयी कुल राशि 317.65 लाख पर 2 प्रतिशत की दर से देय आयकर रु 6.35 लाख की कटौती कर राजस्व मे जमा नही किया गया था। जिससे सरकार को राजस्व हानि हुई।

उक्त प्रकरण को संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अवगत कराया गया कि उक्त योजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है किन्तु विद्धुत संयोजन न होने के कारण अभी तक योजना चालू नही की

जा सकी है। आगे बिलो से 2 प्रतिशत आयकर की कटौती न किए जाने के संबंध मे अवगत करवाया गया कि उक्त बिलो के माध्यम से ठेकेदार से सामग्री की आपूर्ति ली गयी है। सामग्री की आपूर्ति के देयकों से आयकर की कटौती नही की जाती। जिसके कारण बिलो से 2 प्रतिशत आयकर की कटौती नही की गयी है।

सम्प्रेक्षा मे इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उक्त योजना की स्वीकृति के 06 वर्ष बाद भी चालू न होने की वजह से पेयजल योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति अप्राप्त होने के साथ-साथ स्थानीय जनता पेयजल से अभी तक वंचित थी। साथ ही आयकर की कटौती न किए जाने के संबंध मे भी खंड का उत्तर मान्य नही है क्योकि उक्त फर्म/ठेकेदार से आपूर्ति एवं क्रियानवन दोनों कार्य हेतु निविदा आमंत्रण कर अनुबंध गठित किया गया था। नियमानुसार फर्म/ठेकेदार के बिलो से आयकर/टीडीएस की कटौती कर राजस्व मे जमा किया जाना चाहिए था। जिसकी कटौती खंड द्वारा नही की गयी। न ही फर्म/ठेकेदार को दी गयी आयकर की छूट के संबंध मे कोई आदेश/अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्म/ठेकेदार द्वारा दी गयी बैंक गारंटी की वैधता भी दिनांक 09.11.2018 को समाप्त हो चुकी थी। जिसकी वैधता लेखापरीक्षा तिथि तक बढ़ाई नही गयी थी। न ही ठेकेदार द्वारा मानक निविदा अनुबंध (एस0बी0डी0) के clause-13 के अनुसार संबन्धित कार्य का बीमा (Insurance) कराया गया था। जिससे साइट पर होने वाली किसी हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके। जो शासकीय कार्य के प्रति खंड के अधिकारियों/कर्मचारियों की उदासिनता एवं लापरवाही को भी दर्शाता है।

अत: राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम (NRDWP) के अंतर्गत यांत्रिक एवं विद्धुत कार्यो पर रु 615.29 लाख व्यय के बावजूद पेयजल योजना के उद्देश्यों का अप्राप्त रहना तथा ठेकेदार के बिलो से नियमानुसार 2 प्रतिशत की दर से देय आयकर की कटौती न करने के कारण रु 6.35 लाख की राजस्व की हानि का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

(b) रु 1898.91 लाख की पेयजल योजना 2 वर्षो से विद्युत संयोजन नहीं किए जाने के कारण अपूर्ण रहने का प्रकरण।

उत्तराखंड अधिप्रप्ति नियमावली 2008 के नियम 46 एवं अधिप्रप्ति नियमावली 2017 के नियम 51 के अनुसार 5 करोड़ से अधिक की योजनाओ का “तृतीय पक्ष” से निरीक्षण कराया जाना आवश्यक है एवं अधिप्रप्ति नियमावली 2017 के नियम 17(2) के अनुसार ठेकेदार से कार्य पूर्ति प्रतिभूति कार्य पूर्ण होने की तिथि के 60 दिन बाद तक वैध होना आवश्यक है कार्यालय की लेखापरीक्षा मे पाया गया कि- सूरीधार ग्राम समूह पेयजल योजना की कुल अनुबंधित लागत रु 1898.91 लाख थी, कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 15/04/2017 थी कार्य पूर्ण करने की तिथि 14/10/2018 थी अभी तक कार्य अपूर्ण है, इस राशि मे से रु 457.68 लाख का E&M कार्य यांत्रिक खंड देहरादून द्वारा किया जाना था लेखापरीक्षा तिथि तक अवमुक्त राशि रु 270.90

लाख एवं 3 रनिंग बिल के अनुसार व्यय राशि रु 123.00 लाख थी। आगे अभिलेखो मे यह भी पाया गया कि- सभी कार्य पूर्ण हो चुके है विद्धुत कार्य ही अवशेष है। इस अपूर्ण कार्य के कारण सूरीधार ग्राम समूह 2 वर्ष से योजना के लाभ से वंचित है, निर्माण कार्य के संबंध मे तृतीय पक्ष से कोई जांच नहीं करायी थी राज्य स्तर से भी कोई तकनीकी जांच नहीं की गयी थी। माह 08/2020 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन मे कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 30 प्रतिशत दर्ज थी व व्यय राशि रु 259.37 लाख माह 08/2020 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन मे दर्ज किया गया है जबकि बिल के अनुसार व्यय रु 123.00 लाख है एवं रु 136.91 लाख पावर विद्धुत विभाग नई टिहरी को प्रेसित की गयी है कार्य की धीमी प्रगति विद्धुत विभाग के स्तर से है क्योकि विद्धुत संयोजन प्राप्त नहीं हुआ है एवं उस राशि से कितना व्यय विद्धुत विभाग द्वारा किया गया है UC प्राप्त नहीं हुई है विद्धुत विभाग ओर पेयजल निगम के बीच इस कार्य को करने के संबंध मे कोई एम ओ यू भी हस्ताक्षरित नहीं हुआ है, जबकि उत्तराखंड शासन के वित्त सचिव के आदेश संख्या 475/xxvii(7) 2008 दिनांक 15/12/ 2008 के द्वारा अवगत कराया गया था कि- एम ओ यू आवश्यक रूप से कराया जाए। इस कार्य की तकनीकी स्वीकृति भी उपलब्ध नहीं करायी गई इस कारण यह ज्ञात नहीं की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई या नहीं हुई रु 50.85 लाख सेंटेज निगम को राज्य सरकार से प्राप्त होना था परंतु उपलब्ध कराये गए साक्ष्यों के अनुसार अभी सेंटेज राशि अप्राप्त है, ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करायी गयी एफ़ डी आर की वैधता अवधि दिनांक 23/12/2017 को पूर्ण हो चुकी है अवधि बढ़ाई जाने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था, निर्माण कार्य का बीमा ठेकेदार के स्तर से या विभाग के स्तर से कराये जाने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था इस कार्य के आगणन मे इंजीन्यरिंग contingencies रु 19.37 लाख राशि लागत का 5 प्रतिशत शामिल की गयी थी इसे शामिल किए जाने से संबन्धित कोई आदेश उपलब्ध नहीं था उपरोक्त सभी बिन्दुओ को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने स्वीकार करते हुये बताया कि- कार्य विद्धुत विभाग के स्तर पर लंबित है विद्धुत संयोजन प्राप्त होने पर ही योजना प्रारम्भ होगी विद्धुत विभाग द्वारा व्यय के संबंध मे UC भी नहीं दी गयी है। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि यह सभी कार्यवाही एम ओ यू हस्ताक्षरित करके करनी चाहिए थी। रु 1898.91 लाख की योजना विद्धुत संयोजन नहीं किए जाने के कारण 2 वर्षो से लंबित पड़ी थी ओर ठेकेदार द्वारा बार-बार यह कहा जा रहा था की सिविल कार्य मेरे दावरा सभी पूर्ण कर दिये गए है यथाशीघ्र विद्धुत संयोजन / विद्युत लाईन का कार्य पूर्ण करके ठेकेदार के कार्य की जांच कर ली जाए। अत: रु 1898.91 लाख की पेयजल

योजना विद्युत संयोजन नहीं किए जाने के कारण अपूर्ण रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-2 : वित्तीय नियमो एवं प्राविधानों के विपरीत लोन के रूप मे प्राप्त नाबार्ड निधि से रु 5 करोड़ का अनियमित रूप से हस्तांतरण किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियम 3{13(iii)} यह निर्धारित करता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी लोक धन से व्यय करते समय वैसी ही सावधानी बरतेगा जैसे कि एक समान्य व्यक्ति स्वयं के धन का उपयोग करते समय अपने विवेक का उपयोग करता हैं।

वित्तीय नियमों एवं निर्धारित प्राविधानों के अनुसार किसी एक योजना के राशि किसी भी दशा मे किसी अन्य योजना मे व्यय नहीं किया जाना चाहिए। नाबार्ड द्वारा पेयजल योजना हेतु स्वीकृत अनुदान के धनराशि अवमुक्त करने सम्बन्धी शासनादेश मे निहित शर्तो एवं प्रविधानों के अनुसार स्वीकृत मद के इतर अन्य मद मे धनराशि का व्यय प्रतिबंधित था।

अधिशासी अभियन्ता, यांत्रिक शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून के आय व्यय से संबन्धित लेखा अभिलेखों की नमूना जांच मे यह पाया गया कि इकाई द्वारा नाबार्ड मद के अन्तर्गत संपादित कार्यों हेतु राशि प्राप्त करने एवं भुगतान करने हेतु SBI बैंक के खाता संख्या 35629570773 का संधारण किया जा रहा था। जिसमे से दिनांक 27.03.2020 को IDBI बैंक मे एक नया अकाउंट संख्या 1768104000042884 खोलकर प्राप्त राशि मे से 5 करोड़ रुपए हस्तांतरित की गयी, जिसमे से रु 2 करोड़ फिर से दिनांक 31.03.2020 को IDBI बैंक मे एक ओर नया खाता संख्या 1768104000042893 खोलकर हस्तांतरित की गयी। इसके पश्चात माह 06/2020 को पुन: खाता संख्या 1768104000042884 से खाता संख्या 1768104000042893 मे रु 2.30 करोड़ (रु 1.30 करोड़ एवं रु 1 करोड़) हस्तांतरित किया गया। उक्त खातो से नाबार्ड मद के किसी कार्य का भुगतान नही किया गया। खाता संख्या 1768104000042893 का कोई भी विवरण मासिक लेखे मे संलग्न कर उच्च अधिकारियों एवं शासन को प्रेषित नही किया जा रहा था। इस खाते से माह 09/2020 को 2 करोड़ रुपए का पुन: आहरण दर्शाया गया। जिसका विवरण भी उच्च अधिकारियों को प्रेषित मासिक लेखे मे नही भेजा जा रहा था। खंड मे कोई ऐसा अभिलेख भी उपलब्ध नही है जिससे ज्ञात होता हो कि खंड मे कौन सा खाता किस योजना/कार्य हेतु खोला गया है तथा किसके आदेश/निर्देशों के अनुपालन मे। जिससे स्पष्ट होता है कि खंड मे शासकीय धन से संबन्धित खातो के बारे मे कोई निगरानी प्रणाली (Monitoring) नही है। साथ ही प्रतीत होता है कि अधिशासी अभियंता द्वारा अपने अधिकारो का मन-माने ढंग से प्रयोग कर, नाबार्ड मद की शासकीय राशि को माह 03/2020 मे व्यय दर्शाने तथा उक्त राशि को बाद मे अन्य कार्यो पर व्यय करने हेतु उक्त खातो मे माह 03/2020 एवं 06/2020 को हस्तांतरित की गयी थी। साथ ही संबन्धित पत्रावली की जांच मे ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ जिससे यह प्रमाणित

होता हो कि इकाई द्वारा धनराशि के हस्तांतरित करने हेतु किसी सक्षम प्राधिकारी/शासन की स्वीकृति प्राप्त की गयी हो। जो एक वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है।

उक्त प्रकरण को संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया गया कि उक्त राशि नाबार्ड परियोजना हेतु खोले गए खाता संख्या 1768104000042884 मे रु 5 करोड़ हस्तांतरित किया गया, उसके बाद ठेकेदारो की सिक्योरिटी हेतु खोले गए खाते मे रु 4.30 करोड़ को हस्तांतरित किया गया है। जिसमे से माह 09/2020 को रु 2 करोड़ का आहरण मुख्य खाते मे हस्तांतरित करने हेतु किया गया है।

सम्प्रेक्षा मे इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उक्त राशि माह 03/2020 मे योजनाओ पर व्यय करने हेतु नाबार्ड मद मे प्राप्त हुई थी। जिसको योजनाओ पर व्यय न कर अन्य ऐसे अकाउंट मे हस्तांतरित करना जिसका विवरण उच्च अधिकारियों को मासिक लेखे मे प्रेषित नही किया जा रहा था वित्तीय नियमानुसार उचित नही है। जबकि खंड मे नाबार्ड मद से संबन्धित 05 खाते पूर्व मे ही चालू थे। जिनसे नाबार्ड से संबन्धित कार्यो का भुगतान किया जाता था। खंड द्वारा ठेकेदारो की प्रतिभूति से संबन्धित एक सामान्य खाता पूर्व मे ही खोला गया था जिसमे राशि जमा की जा रही थी। साथ ही ठेकेदारो की प्रतिभूति के विवरण से संबन्धित कोई अभिलेख/रजिस्टर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतरिक्त खंड द्वारा खातो की संख्या तथा उनके विवरण से संबन्धित कोई पंजिका/ अभिलेख का रख-रखाव भी नही किया जा रहा था। जो सरकारी धन के उपयोग के लिए खंड की लापरवाही एवं मन-माने ढंग को दर्शाता है।

अत: वित्तीय नियमो एवं प्राविधानों के विपरीत लोन के रूप मे प्राप्त नाबार्ड निधि से रु 5 करोड़ का अनियमित रूप से हस्तांतरण किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-3: रु 10.05 लाख अवशेष सामग्री का समायोजन नहीं किए जाने का प्रकरण।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 6 के नियम 188 के अनुसार स्टॉक मे अवशेष सामग्री की घोषणा सक्षम अधिकारी द्वारा कर दी जाती है तो सामग्री को अन्य कार्यालय या अन्य विभाग को उपयोग हेतु अधिसूचना जारी की जानी चाहिए ओर जहां आवशयकता हो स्टॉक हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए, यह कार्यवाही प्रकाशन की तिथि से 6 माह मे पूर्ण हो जानी चाहिए।

कार्यालय की नमूना लेखापरीक्षा मे पाया गया कि- स्टाक पंजिका वर्ष/माह 08/2020 से संबन्धित उपलब्ध करायी गयी सूचना मे स्टॉक अवशेष के रूप में रु 10.05 लाख की सामग्री का प्रकरण लंबे समय से पड़ा है, खंड स्तर पर समायोजन हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है,यह धनराशि/सामग्री किन कारणो से अवशेष है अथवा किस तिथि से अवशेष है इस आशय की लेखापरीक्षा नहीं की गयी क्योकि स्टॉक पंजिका उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। उपलब्ध सूचना मे सामग्री क्रय करने की तिथि अंकित नहीं है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अवशेष सामग्री का विवरण मात्र उपलब्ध कराया गया है, उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि सामग्री का क्रय उसी समय किया जाना चाहिए जब सामग्री की उपयोग होने की सूचना स्वीकृत आगणन मे प्रावधानित हो, यदि सामग्री अवशेष है तो इसका अर्थ यह है कि- सामग्री का क्रय बिना अवशयकता के किया गया है ।

अत: रु 10.05 लाख की अवशेष सामग्री का समायोजन नहीं किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
90/2004-05	1,2,3,4	1,2
23/2006-07	शून्य	1,
68/2010-11	1,2	1,2,3
189/2015-16	00	01
63/2018-19	00	1,2,3,4,5

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			अनुपालन आख्या उच्च अधिकारियों के माध्यम से पूर्व मे ही प्रेषित की जा चुकी है ।	

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, यांत्रिक शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः MB संख्या: 331/L, 266/S, 300/S, 282/S, 293/S, 294/L, 337/L, 297/S, 329/L खाता संख्या: 1175000116186230 एवं 11750001200000061 का पूर्ण बैंक स्टेटमेंट ।

2. सतत् अनियमितताएः शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया ।

नाम	पदनाम	अवधि
श्री जितेन्द्र सिंह देव	अधिशासी अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, यांत्रिक शाखा, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/(AMG-II) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

AMG-II (Non-PSUs)